



zone-10

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना -2021 की समीक्षा
Master Plan Review-2021

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

“ओपन हाउस मीट्स”
“OPEN HOUSE MEETS”

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए
Form to be filled by Participant

26
OFFICE OF THE DIR (Pig.)
MPR/TC, D.D.A. II, DELHI-2
Dy.No. 3637
Dated 28/5/12

| | |
|---|---|
| नाम Name | शिव नारायण भाट्ट, शोभाजी - |
| प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual | मक निर्माण उप-समिति 159 ब्लॉक जैवकुट्टा किल्ला पट्टी |
| वर्तमान स्थिति Present Position | रेजिस्ट्रार गुण प्रवक्ता |
| फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile | 9910515490 |
| फैक्स : Fax : | |
| ई-मेल E-mail | |
| पता : Address : | I - 159, जैवकुट्टा किल्ला पट्टी I |
| हस्ताक्षर : Signature : | शिव नारायण भाट्ट |
| तिथि : Date : | 29/05/2012 |

“अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं
“Submit your registration form at the venue of Open House meets.”



नव निर्माण उप – समिति

26
रजि. नं. S/24311

159, आई- ब्लॉक, जैतपुर एक्स. पार्ट - 1, बदरपुर नई दिल्ली-44

दिनांक.....

अध्यक्ष

शिव नारायण यादव
9910515490

उपाध्यक्ष

अरुण कुमार उपाध्याय
9350678333

महासचिव

एन.बी. वर्मा
9818032485

कोषाध्यक्ष

अमरेन्द्र झा

सचिव

कमलकान्त

प्रचार मंत्री

अमर सिंह

सलाहकार

जगदीश
कीकर सिंह
21/11/2011

सदस्य

राम नारायण
राजा राम जी
शिव प्रसाद यादव
शिव प्रकाश शुक्ला

संरक्षक

गोस्वामी
राजमन भारती

सेवा में,

श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय,
दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास सदन, आई.एन.ए.
नई दिल्ली-110023.

महोदय,

दक्षिणी दिल्ली के जैतपुर वार्ड नं. 201 आई-159, जैतपुर विस्तार पार्ट-I, बदरपुर, नई दिल्ली-110044, में यहाँ 98 प्रतिशत मकाने बन चुकी है 2 प्रतिशत बांकी है, 08.03.2010 से पहले हम सभी को सरकार द्वारा प्रोविजनल सार्टी फिकेट भी मिल चुकी है। हम सभी कालोनी वासी यहाँ राजी खुशी से रहते थे मकान बनाने व मरम्मत करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी, हम लोग राजी खुशी से मकान बनाते व मरम्मत भी करते थे। अचानक हमारी कालोनी को 08.03.2010 को ओ जोन में डाल दिया गया, जिसके कारण हम ना मकान बना सकते है और ना ही मरम्मत कर सकते है, और मकान नहीं बनने के कारण अनेको प्रकार की कठिनाईयाँ उठानी पड रही है।

अतः महोदय जी से प्रर्थना है कि हमारे क्षेत्र को ओ जोन से बाहर किया जाय व मकान बनाने की अनुमति प्रदान की जाये।

धन्यवाद

अध्यक्ष
नव निर्माण उप-समिति (रजि. नं. S/24311)
आई-ब्लॉक, जैतपुर नई दिल्ली-44
100-44

प्राथी

शिव नारायण यादव
नव निर्माण उप-समिति अध्यक्ष
दूरभाष नं. 9910515490

Provisional Certificate of Regularization

No. : F.1-33/UC/UD/2004/Pt.-III/

Dated : 17/09/2008

It is certified that the residents of Jaitpur Extn. P-I Bl-1 Badarpur
unauthorised colony, having Regd. number..... 582....., represented through

Sh/Ms..... Shri Narayan Yadav
(President/Secretary) of the NAN Niirman Samiti..... Society Ltd. (registered

under the Society Registration Act, 1861) having registration number.....

have fulfilled the requirement of Clause 4 of the Regulations for Regularization of
unauthorised colonies in Delhi, notified by the Government of India vide notification No.
S.O. 683 (E) dated the 24th March, 2008 and amended vide notification No. S.O. 1452
dated the 16th June, 2008, and, thus, Jaitpur, Extn. 1, Part-1, Block 1
unauthorised colony is provisionally regularized. Badarpur, New Delhi-44

This provisional regularization certificate shall be subject to the scrutiny of the
requisite documents, by the local body/ Delhi Development Authority/ GNCTD, with
regard to fulfillment of conditions stipulated under the aforesaid Regulations. The
unauthorised colonies fulfilling those conditions shall only be considered for final
regularization.

The final boundary of the aforesaid colony would be fixed by the GNCTD only
after completing all requisite formalities including those in Clause 3 of the Regulations.

By order and in the name of the Lt.

Governor of the National Capital

Territory of Delhi

Madhukar
(MADHUKAR)

Joint Secretary (UC)

Raj Kumar Chauhan

RAJ KUMAR CHAUHAN

Urban Development Minister

Govt. of NCT of Delhi

To,

Sh/Ms.....

Shri Narayan Yadav